

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2024/194

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

कन

बनाम

लड-२०१

148/2024

किस्म मुकद्दमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट प्रकरण नं. /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.6.24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम <u>मानपुर</u> की आराजी नम्बर <u>177 (अब) 0.09 हरेका</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नही की जावे। यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नही किया जाए। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावे।</p> <p>पत्रावली में इसी आशय का हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार हो नम्बर से कम हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी (राज.)</p>	